# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

**अपील/रसद/02/2021**

फतेहसिंह पुत्र रमेशचंद जाति जाट निवासी फतेहपुर थाना उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. जी.एस.एस. भौट फतेहपुर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भोट जरिये व्यवस्थापक राजसिंह।
2. जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 05.01.2021 प्रकरण संख्या 33/2020 सरकार बनाम जी.एस.एस. भौट फतेहपुर अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

**निर्णय** **दिनांक 05.10.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 05.01.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही पत्रावली पर उपलब्ध जबाब आ जाने तथा प्रवर्तन निरीक्षक की भी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण न करते हुये 90 दिन से अधिक समय का हवाला देते हुये



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

रेस्पो0 स0 01 का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया जो कि काबिल निरस्तनीय है। रेस्पो0 स0 01 के विरूद्व दो बार प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा जांच करने पर दोनों ही बार अनियमितता किया जाना पाया गया है तथा रेस्पो0स0 01 के विरूद्व थाना उच्चैन में अनियमितता के आरोपों के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा बहस में बताया कि शिकायत राशन सामग्री के वितरण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध है, जिसमें एफ.आई.आर. भी दर्ज हो गई तथा आरोप भी सत्य साबित हो रहे थे। तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण निस्तारण नहीं करते हुए प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से जांच पडताल करने के बाद ही प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जो अनियमितता की शिकायत जिन व्यक्तियों के माध्यम से कराई गई थी उनमे से वीरेन्द्र सिंह शिकायतकर्ता ने एक शपथ पत्र दिया है कि उसने कोई शिकायत नहीं की है और न ही शिकायत पर हस्ताक्षर हैं। शिकायतकर्त्ता रूमादेवी व पाजो ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जांच अधिकारी को लिखकर दिया है कि मैने कोई शिकायत नहीं की है और वह झूठी है। इसी प्रकार तस्वीर एवं राजवीर ने शिकायत नही करने एवं राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है न कोई जानकारी है। तहत न्यायालय द्वारा जांच पडताल एवं फर्द मौका रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर रेस्पो0 स0 01 का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है। अपीलान्ट का भाई टहलराम जो पूर्व में व्यवस्थापक था जो राशन वितरण का कार्य करता था, उसने अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर कर राशन का गबन किया। जिसकी फर्जकारी की एफ.आई.आर. दर्ज हुई है जिसमें एक वर्ष जेल में रहा है तथा न्यायालय बयाना में प्रकरण विचाराधीन है। अपीलान्ट व उसके भाई टहलराम के विरूद्व अन्य कई मुकदमे दर्ज हो रहे है। अपीलान्ट द्वारा यह शिकायत आपसी रंजिश व झूठी की है। जहां तक थाना उच्चैन में एफआईआर दर्ज होना स्वीकार है किन्तु उक्त मुकदमा प्रार्थी के खिलाफ झूंठा व रंजिशवश दर्ज कराया गया है। जिसमें जांच अधिकारी द्वारा एफ.आर. लगा दी गई तथा प्रकरण अभी विचाराधीन है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को नोटिस का जबाब प्राप्त करने के उपरान्त उनके विरूद्व दर्ज विभागीय प्रकरण का को गुवावगुण के आधार पर निर्णय हेतु विचाराधीन रखते हुए निलम्बन का प्राधिकार पत्र को 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण बहाल किया गया है। जो कानूनी रूप से विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार के जबाब के सबंध में जांच कराई गई तो पाया कि शिकायतकर्ता को राशन देने हेतु पाबंद किया जा चुका है। शिकायतकर्त्ताओ ने राशन वितरण के सबंध में कोई शिकायत नही होना अवगत कराया है। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

बहस में कथन किया है कि एक शिकायतकर्त्ता की मृत्यु हो चुकी है और उसका पुत्र बाहर रहता है उसके दो राशनकार्ड है, जिनमें से गावं के राशनकार्ड को डिलीट करा दिया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जी.एस.एस. भौट फतेहपुर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भौट को विभागीय प्रकरण संख्या 33/2020 को विचाराधीन रखते हुए निलम्बित प्राधिकार पत्र को 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण दिनांक 05.01.2021 को बहाल किया गया है। तहत अदालत द्वारा बहाली से पूर्व सम्बंधित प्रवर्तन निरीक्षक से डीलर के विरूद्व की गई शिकायत की जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्त्ताओं द्वारा डीलर से राशन सम्बन्धी कोई शिकायत नही होना पाये जाने एवं क्षेत्र में राशन सामग्रियों के उठाव/वितरण की व्यवस्था की दृष्टि से प्रकरण को विचाराधीन रखते हुये 90 दिवस बाद डीलर के प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। तहत अदालत का यह आदेश अन्तिम आदेश नहीं है। डीलर के विरूद्व गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना शेष है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश है किः–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2021 बहाल किया जाकर पत्रावली नियमित सुनवाई हेतु जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 05.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर